न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर / 2017 / 1241 दिनांक 24/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 482 / 16 अनवान शंकर बनाम पता वगैरा में 15.07.17 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 482/16 अन्तर्गत धारा 251 (ए) Rt Act में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 482/16 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थी :– 1. शंकर पुत्र मोबता जाति भील
निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. पता पुत्र मोबता 2.उम्मेदाराम 3.लूणाराम 4.भाणाराम 5.तुलछाराम 6.सांवलाराम पि.रणजीताराम 7.चूनीदेवी पत्नि रणजीताराम जाति भील निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा। 8.प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा सेड़वा 9.तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– श्री नरेश भादू

विप्रार्थीगण वकील :–

निर्णय

दिनांक 15/7/17

प्रार्थी शंकर पुत्र मोबता, जाति भील, निवासी सिहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा सुद खेत खसरा सं. 639/98 रकबा 31.11 बीघा ग्राम सिहानिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थी के खसरा सं. 638/68 रकबा 25.10 बीघा एवं खसरा सं. 640/68 रकबा 31.11 बीघा मौजा सिहानिया के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सेड़वा मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 15.07.17 को पेश हुई। तहसीलदार से उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	638 / 68	25.10	बा.दो.	13 फीट	00.08	सिहानिया	**पता पुत्र मोबता, कौम भील, निवासी सिहानिया**
2	640 / 68	31.11	बा.दो.	13 फीट	00.05	सिहानिया	**उमेदाराम पुत्र रणजीताराम वगैरा, जाति भील, निवासी सिहानिया**

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 13 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 13 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 13 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.07.17 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2017 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

नक्शा किश्तवार
मौजा - सिजनियां
तह० - ओड़छा
पैमाना 1 इंच = [illegible]

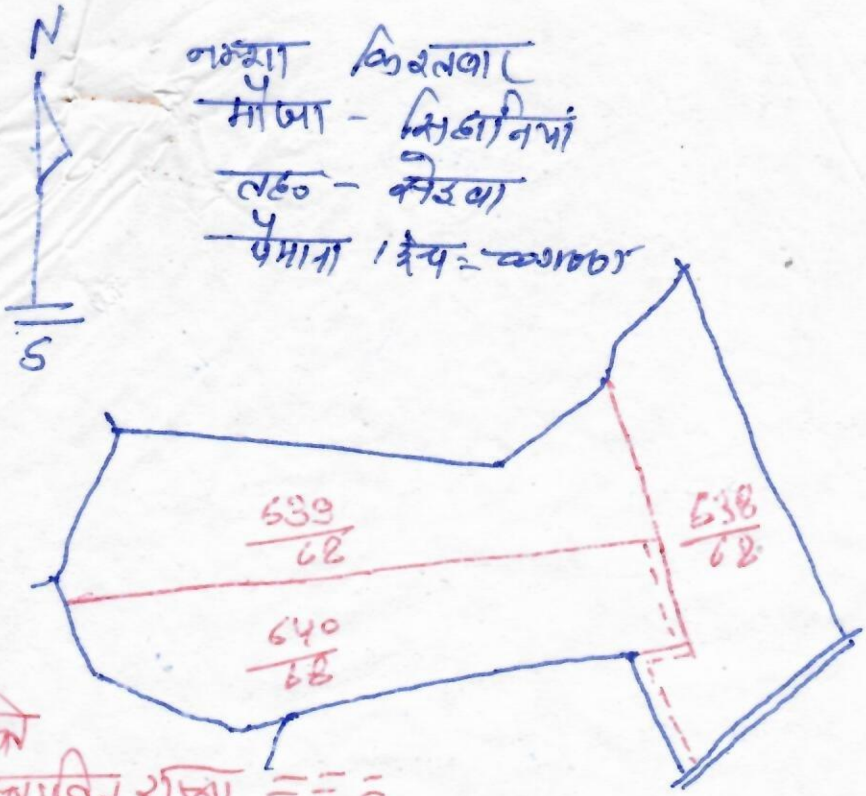

संकेत
प्रस्तावित रास्ता = = =

[illegible signature]

पटवारी हल्का

नि० शंकर सिंह

नि० शंकर [illegible]

तहसीलदार (भू.अ.) ओड़छा

उपखण्ड अधिकारी

मौका फर्द

आज दिनांक 12/05/2017 को राजस्व आवेदन संख्या 482/16 अनवानू शंकर बनाम पता वगैरा राज. काश्त. अधि० धारा 251/A श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के आदेश क्रमांक रिउर/2016/39/4/01/2017 एवं तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/LR/2017/109 दिनांक 6/01/2017 की पालना में पटवारी हल्का अरटी, प्रार्थी एवं विपार्थीगण एवं मौतबिरानों के साथ मौके पर मौका स्थिति की जाँच रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पहुँचा।

मौके पर जाँच करने पर स्थिति निम्न प्रकार पायी।

क्र० सं०	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघों में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डीएलसी दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पता पुत्र मोहता कौम भील निवासी सिलानिया	638/68	25.10	13 फुट	0.08	47,100/-	18840/-	बादो
2.	ऊमेदाराम पुत्र रणजीताराम कौम जाति भील निवासी सिलानिया	640/68	31.11	13 फुट	0.05	47,300/-	11,075/-	बादो

मौके पर जाँच करने पाया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन में प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

मौका फर्द पढ़कर कर सुनाई गई सुन समझ कर हस्ताक्षर व अंगूठे निशान करवाये गये।

पटवारी अरटी

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

चतराराम

नि० शंकर/मोहता

उपखण्ड अधिकारी चौहटन